प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.6.2012 को सम्पन्न जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः—

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न इस बैठक में श्रीप्रकाश सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग तथा नगर विकास विभाग के अन्य अधिकारियों सहित निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश एवं सातों मिशन शहरों के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम एवं परियोजनाओं से सम्बंधित मुख्य अभियन्तागण एवं निदेशक, सी. एण्ड डी.एस. व अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित हुए। बैठक में चेयरमैन–कम–मैनेजिंग डायरेक्टर, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

2. सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित सचिव, शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 14018/31/2012–एन.–III दिनांक 2 मई, 2012 को पढ़कर कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की असन्तोषजनक प्रगति, तथा वाराणसी एवं इलाहाबाद नगरो में पेयजल व सीवरेज परियोजनाओं के निर्माण के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त सड़कों की पुनर्स्थापना तथा परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने की कार्य–योजना के सम्बंध में भारत सरकार की टिप्पणी से अवगत कराते हुए निर्देश दिये गये कि कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत माननीय मंत्रीजी, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 24.05.2012 में लिये गये निर्णयानुसार अपूर्ण परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को निर्धारित तिथि तक पूर्ण कराये जाने हेतु संबंधित नगर आयुक्तों से प्राप्त एक्शन प्लान को (यू.आई.जी. व यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यान्शों के अलग–अलग) बाउँड कराकर एस.एल.एन.ए. कार्यालय द्वारा उन्हें दिनांक 26.06.2012 तक उपलब्ध कराया जाय। जिस नगर निकाय से एक्शन प्लान प्राप्त नहीं हुये है, उन नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाय।

3. टीम लीडर, पी.एम.यू. द्वारा अवगत कराया गया कि यूआईजी. कार्यान्श के अन्तर्गत ₹ 3363.08 करोड़ के व्यय के सापेक्ष ₹ 2363.13 करोड़ की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। स्वीकृत 33 परियोजनाओ में से 2

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.6.2012 को सम्पन्न जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

परियोजनाएं (नामतः आगरा ब्रांच सीवर परियोजना एवं कानपुर सालिड–वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना) के समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2012–13 में 11 परियोजनाएं {नामतः मथुरा सालिड–वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना, आगरा सालिड–वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना, आगरा पेयजल परियोजना, आगरा सीवरेज(फ़ेज़–1,पार्ट–।) परियोजना, लखनऊ पेयजल(फ़ेज़–1,पार्ट–।) परियोजना, लखनऊ पेयजल(फ़ेज़–1,पार्ट–2) परियोजना, लखनऊ सीवरेज (डिस्ट्रिक्ट–1) परियोजना, वाराणसी पेयजल(पार्ट–।) परियोजना, इलाहाबाद पेयजल(पार्ट–।) परियोजना, इलाहाबाद पेयजल(पार्ट–2) परियोजना व मेरठ पेयजल परियोजना} जिसके लिये केन्द्रांश की चारों किश्तें अवमुक्त हो चुकी हैं तथा 6 परियोजनाएं {नामतः इलाहाबाद सालिड–वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना, लखनऊ सालिड–वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना, वाराणसी सालिड–वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना, मेरठ सालिड–वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना, मथुरा स्टार्म वाटर ड्रेनेज परियोजना व वाराणसी स्टार्मवाटर ड्रेनेज परियोजना} जिसके लिये केन्द्रांश की तीन किश्तें अवमुक्त हो चुकी हैं तथा इसके अतिरिक्त मथुरा सीवरेज (ज़ोन 2) परियोजना, जिसके लिये केन्द्रांश की दो किश्तें अवमुक्त हो चुकी है, को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। शेष 13 परियोजनाओं {नामतः लखनऊ स्टार्मवाटर ड्रेनेज परियोजना, कानपुर सीवरेज (इनर ओल्ड एरिया) परियोजना, कानपुर पेयजल (पार्ट–2) परियोजना, कानपुर पेयजल(इनर ओल्ड एरिया) परियोजना, वाराणसी पेयजल(ट्रान्स वरूणा) परियोजना, लखनऊ पेयजल(डिस्ट्रिक्ट–3,पार्ट–1) परियोजना, लखनऊ सीवरेज(डिस्ट्रिक्ट–3,पार्ट–2) परियोजना, कानपुर सीवरेज(डिस्ट्रिक्ट–4,पार्ट–3) परियोजना, कानपुर सीवरेज (डिस्ट्रिक्ट–2/एस.टी.पी.) परियोजना, मेरठ सीवरेज(ज़ोन–5 व 7) परियोजना, इलाहाबाद सीवरेज(ज़ोन–डी,फ़ेज़–1) परियोजना, वाराणसी पेयजल (ट्रान्स–वरूणा) परियोजना व वाराणसी सीवरेज(ट्रान्स–वरूणा) परियोजना} को वर्ष 2013–14 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त में से 2 परियोजनाओं {नामतः इलाहाबाद सालिड–वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना एवं वाराणसी पेयजल(सिस्–वरूणा) परियोजना} के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा 30 परियोजनाओं के लिये स्वीकृत केन्द्रांश की 10 प्रतिशत धनराशि ₹ 252.305 करोड़, जिसे निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत

'रिफ़ार्म्स' पूर्ण न होने के कारण रोका गया था, को दिनांक 03.01.2012 की सी.एस.एम.सी. बैठक में अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, लेकिन अभी तक उक्त धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी है, से अवगत कराया गया।

4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा दिये गये निम्नवत निर्देश दिये गये :–

4.1. 6 परियोजनाओं नामतः कानपुर सीवरेज(एस.टी.पी.) परियोजना, लखनऊ सीवरेज (डिस्ट्रिक्ट–3, पार्ट–1) परियोजना, वाराणसी पेयजल(पार्ट–II) परियोजना, मेरठ सीवरेज परियोजना, मथुरा सीवरेज परियोजना, मथुरा स्टार्मवाटर ड्रेनेज परियोजना, जिनकी निकाय अंश की धनराशि उपलब्ध हो गयी है, के आगामी उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 28.6.2012 तक शासन में प्रेषित किये जाये।

4.2. वर्ष 2012–13 में 18 परियोजनाएं निम्न प्रकार पूर्ण की जायें:–

(क) माह जुलाई, 2012 तक मथुरा सालिड–वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना पूर्ण की जाय;

(ख) माह सितम्बर, 2012 तक 3 परियोजनाएं नामतः आगरा सालिड–वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना, आगरा पेयजल परियोजना व इलाहाबाद सालिड–वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना पूर्ण की जाये;

(ग) माह दिसम्बर, 2012 तक 5 परियोजनाएं नामतः लखनऊ सीवरेज (डिस्ट्रिक्ट–1) परियोजना, वाराणसी पेयजल(पार्ट–I) परियोजना, लखनऊ सालिड–वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना, वाराणसी सालिड–वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना व मेरठ सालिड–वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना पूर्ण की जाये;

(घ) माह मार्च, 2013 तक 9 परियोजनाएं नामतः इलाहाबाद पेयजल(पार्ट–I) परियोजना, इलाहाबाद पेयजल(पार्ट–2) परियोजना, आगरा सीवरेज (फ़ेज़–1,पार्ट–I) परियोजना, लखनऊ पेयजल(फ़ेज़–1,पार्ट–I) परियोजना, लखनऊ पेयजल(फ़ेज़–1, पार्ट–2) परियोजना, मेरठ पेयजल परियोजना, मथुरा स्टार्मवाटर ड्रेनेज परियोजना, मथुरा सीवरेज परियोजना व वाराणसी स्टार्मवाटर ड्रेनेज परियोजना पूर्ण की जाये।

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.6.2012 को सम्पन्न जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

4.3. वर्ष 2013–14 में शेष 13 परियोजनाएं निम्न प्रकार पूर्ण की जायें:–

(क) माह जून, 2013 तक 4 परियोजनाएं नामतः कानपुर सीवरेज(डिस्ट्रिक्ट–2/एस.टी.पी.) परियोजना, लखनऊ सीवरेज(डिस्ट्रिक्ट–3,पार्ट–1) परियोजना, लखनऊ स्टार्मवाटर ड्रेनेज परियोजना व इलाहाबाद सीवरेज(ज़ोन–डी, फ़ेज़–1) परियोजना पूर्ण की जायें;

(ख) माह सितम्बर, 2013 तक 7 परियोजनाएं नामतः कानपुर पेयजल (पार्ट–2) परियोजना, कानपुर पेयजल (इनर ओल्ड एरिया) परियोजना, कानपुर सीवरेज (डिस्ट्रिक्ट–1/इनर ओल्ड एरिया) परियोजना, कानपुर सीवरेज (डिस्ट्रिक्ट–4,पार्ट–3) परियोजना, वाराणसी पेयजल(सिस्–वरूणा) परियोजना, लखनऊ सीवरेज (डिस्ट्रिक्ट–3, पार्ट–2) परियोजना व मेरठ सीवरेज (ज़ोन–5 व 7) परियोजना पूर्ण की जाये;

(ग) माह दिसम्बर, 2013 तक 2 परियोजनाएं नामतः वाराणसी पेयजल (ट्रान्स–वरूणा) परियोजना व वाराणसी सीवरेज (ट्रान्स–वरूणा) परियोजना पूर्ण की जाये।

4.4. अपूर्ण 31 परियोजनाओं को पूर्ण कराये जाने हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों में परिवर्तन प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अनुमति के बिना अमान्य होगा।

4.5. यू.आई.जी. कार्यान्श की अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण कराये जाने हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों के अनुसार तथा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यान्श की अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण कराये जाने के लिये वर्क–वार व माहवार कार्य योजना/माइलस्टोन {प्रत्येक सम्बंधित परियोजना की भौतिक कार्य योजना एवं वित्तीय कार्य योजना **संलग्न प्रारूप** पर} कार्यदायी संस्था के सम्बंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं सम्बंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरोपरान्त निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से 03 जुलाई, 2012 तक शासन को उपलब्ध करायी जानी सुनिश्चित किया जाय। कार्य योजना की "अभ्युक्ति" स्तम्भ के अन्तर्गत कार्य अवरुद्ध होने का कारण, आदि विवरण प्रस्तुत किये जाये।

4.6. भारत सरकार व आय–व्ययक को छोड़कर शेष सभी स्तरों से धनराशि अवमुक्त कराये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.6.2012 को सम्पन्न जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

4.7. प्रत्येक परियोजना से सम्बंधित कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियंता से जूनियर इन्जीनियर स्तर तक के अधिकारी/कर्मचारी गण के नाम/पदनाम/परियोजना के निमार्ण से सम्बंधित रहने की तिथि का विवरण निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय के माध्यम से 3 जुलाई, 2012 तक शासन को उपलब्ध करायी जानी सुनिश्चित किया जाय।

4.8. कानपुर सीवरेज (डिस्ट्रिक्ट–4,पार्ट–3) परियोजना की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डी.पी.आर. का "स्कोप आफ़ वर्क्स" में कोई परिवर्तन न किया जाय (विशेष रूप से नई क्षेत्र सम्मिलित न किया जाय)।

4.9. वाराणसी नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि वाराणसी पेयजल(ट्रान्स–वरूणा) परियोजना का 100 एम.एल.डी. क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भूमि 30 जून, 2012 तक उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध कराया जाये, तथा वाराणसी सीवरेज (ट्रान्स–वरूणा) परियोजना के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु आवश्यक भूमि का प्रस्ताव शासन को 30 जून, 2012 तक उपलब्ध कराया जाय।

4.10. लखनऊ सीवरेज (डिस्ट्रिक्ट–3,पार्ट–2) परियोजना के अन्तर्गत सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु फ़रीदनगर में उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध करायी गयी भूमि से इन्क्रोचमेन्ट नगर निगम, लखनऊ द्वारा तत्काल हटवाया जाय।

4.11. मेरठ सालिड–वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना के अन्तर्गत कन्सेशनर फ़र्म–मैसर्स ए 2 ज़ेड द्वारा कान्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में निर्धारित प्रोसेसिंग प्लांट की विभिन्न यूनिट्स के मशीनरी के डिजाइन में भूमि उपलब्ध (माह नवम्बर, 2011 में) कराये जाने के 6 माह पश्चात् बिना कार्यदाई संस्था एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अपने स्तर से परिवर्तन किये जाने एवं इस प्रकार योजना को पूर्ण किये जाने में विलम्ब का पूर्ण औचित्य एवं डिजाइनों के सम्बंध में पूर्ण विवरण अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित आख्या निदेशक, सी.एण्ड डी.एस. द्वारा निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय के माध्यम से 3 जुलाई, 2012 तक शासन को उपलब्ध करायी जानी सुनिश्चित की जाय।

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.6.2012 को सम्पन्न जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

4.12. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत व अपूर्ण समस्त सालिड–वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं के अन्तर्गत अवशेष कार्यों की कार्य–वार समीक्षा करते हुए परियोजना के निर्माण एवं यूज़र–चार्जेज पर समुचित आख्या, अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित, सम्बंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय के माध्यम से 3 जुलाई, 2012 तक शासन को उपलब्ध करायी जानी सुनिश्चित की जाय।

4.13. इलाहाबाद, वाराणसी एवं लखनऊ नगरों में स्वीकृत सीवरेज व पेयजल परियोजनाओं के अन्तर्गत जिन सड़कों व गलियों में पेयजल/सीवर की पाइप्स बिछायी जा चुकी है, से सरप्लस मिट्टी तत्काल डिस्पोज़ करायी जाय एवं पाइप की ट्रैंच में भरी गई मिट्टी को नियमानुसार कम्पैक्ट कराते एवं समतल बनाते हुए अस्थाई पुनर्स्थापना कर सड़कों को मोटरेबल बनाये जाने का कार्य आगामी वर्षा से पूर्व कराया जाय। **पाइप लाइन की लीकेज–टेस्ट व यथावश्यक सुधारात्मक कार्य के पश्चात** नगर निगम व उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन सड़कों का नियमानुसार कम्पैक्ट कराते हुए स्थाई पुनर्स्थापना के कार्य कराये जाय। प्रत्येक सम्बंधित सड़क/गली की गुणवत्ता के सम्बंध में सड़क/गली की पुनर्स्थापना से सम्बंधित विभाग { उ0प्र0 जल निगम/नगर निगम/पी.डब्लू.डी./विकास प्राधिकरण वार आख्या तथा पी.डब्लू.डी./विकास प्राधिकरण से उक्त कार्य को कराये जाने के लिये किये गये भुगतान की धनराशि का विवरण तथा उनसे किये गये पत्राचार के विवरण सहित समुचित आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित सम्बंधित नगर आयुक्त निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय के माध्यम से 3 जुलाई, 2012 तक शासन को उपलब्ध करायी जानी सुनिश्चित की जाय।

4.14. सीवर के लिये प्रयोग की जाने वाली पाइपों को सड़क के नीचे बिछाये जाने के लिये बिछाने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व सड़क के किनारे स्टैक ना किये जाये, जिससे कि ट्रैफ़िक में व्यवधान न हो।

4.15. निर्माण कार्य से सम्बंधित परियोजना प्रबंधक/परियोजना अभियंता/जूनियर इन्जीनियर तथा ठेकेदार के नाम/पदनाम/मोबाइल नम्बर छपे हुए साइन–बोर्ड प्रत्येक कार्य स्थल पर लगाये जाय। पेयजल/सीवर की पाइप लाइन की ट्रैंच के किनारे